पंजीकरण पुस्तिका 2021

पंजीकरण
07.10.2021 से 07.11.2021
तक

सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद के सेक्टर-9 में सामान्य पंजीकरण-2021 के अन्तर्गत 64 नग चार मंजिले दुर्बल आय वर्ग आवासीय योजना के फ्लैट प्राप्त करने का

सुनहरा अवसर

रेरा पंजीकरण संख्या : UPRERAPRJ759686

Website-www.up-rera.in

IS 15700 : 2005
सेवोत्तम प्रमाणित

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
U.P. HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ.

Website : http://www.upavp.in, E-mail : info@upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरो
IS 15700
Bureau of Indian Standards
SQMS

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से कार्यान्वयन करते हुए, प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यों में समन्वय लाने के उदेद्श्य से किया गया था।

उदेद्श्य –

(अ) प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आवास संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाना एवं इन योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

(ब) परिषद की विभिन्न योजनाओं के विक्रय हेतु आवश्यकतानुसार केन्द्र एवं राज्य सरकार, व्यवसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक निगमों तथा उपक्रमों से अनुदान अथवा ऋण लेना।

(स) भूमि अर्जित करना तथा आवासीय योजनाओं में सड़क, विद्युत, जल सम्भरण तथा अन्य नगरीय सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हुए पंजीकृत व्यक्तियों की मांग के अनुरूप भूखण्ड विकसित करना तथा भवन आदि निर्मित करके उनको आवंटित करना।

(द) समाज के दुर्बल आय वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सुरक्षा कर्मचारी एवं स्वतंत्रता सेनानी वर्ग के व्यक्तियों व दिव्यांगो के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करना।

(ध) केन्द्र/राज्य सरकार तथा उसके उपक्रम अथवा अन्य संस्थाओं के लिए कार्यालय भवन, शापिंग काम्पलेक्स तथा आवासीय कालोनियों का निर्माण करना व तकनीकी सलाह देना। नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त उपनगरीय क्षेत्रों में भी आवासीय सुविधायें उपलब्ध कराना।

(न) भवन निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा लागत में कमी लाने के उदेद्श्य से अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना तथा कास्ट इफेक्टिव टेक्नालाजी का प्रयोग करते हुए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना।

(प) प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी आवास समितियों को प्रोत्साहित करना।

(फ) आवंटियों को सम्पत्ति क्रय करने के लिए वांछित ऋण उपलब्ध कराना।

परिषद अपनी योजनाओं के अन्तर्गत उन सभी अनिवार्य सेवाओं तथा नागरिक सुविधाओं जैसे– विद्युत–आपूर्ति, शुद्ध पेय जल, ड्रेनेज, सीवर प्रणाली, नालियों, सड़कों पार्कों तथा सामुदायिक केन्द्र आदि की व्यवस्था करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही परिषद अपनी योजनाओं में विक्रय केन्द्रों, विद्यालयों एवं विभिन्न संस्थाओं आदि के निर्माण हेतु भी व्यवस्था कराता है जिससे योजनाएं स्वयं परिपूर्ण शहरी इकाईयों के रूप में विकसित होती हैं। परिषद की योजनाओं में उपलब्ध सम्पत्तियों का आवंटन/प्रदेशन पंजीकृत आवेदको के मध्य परिषद विनियमावली मे उल्लिखित व्यवस्थानुसार किया जाता है।

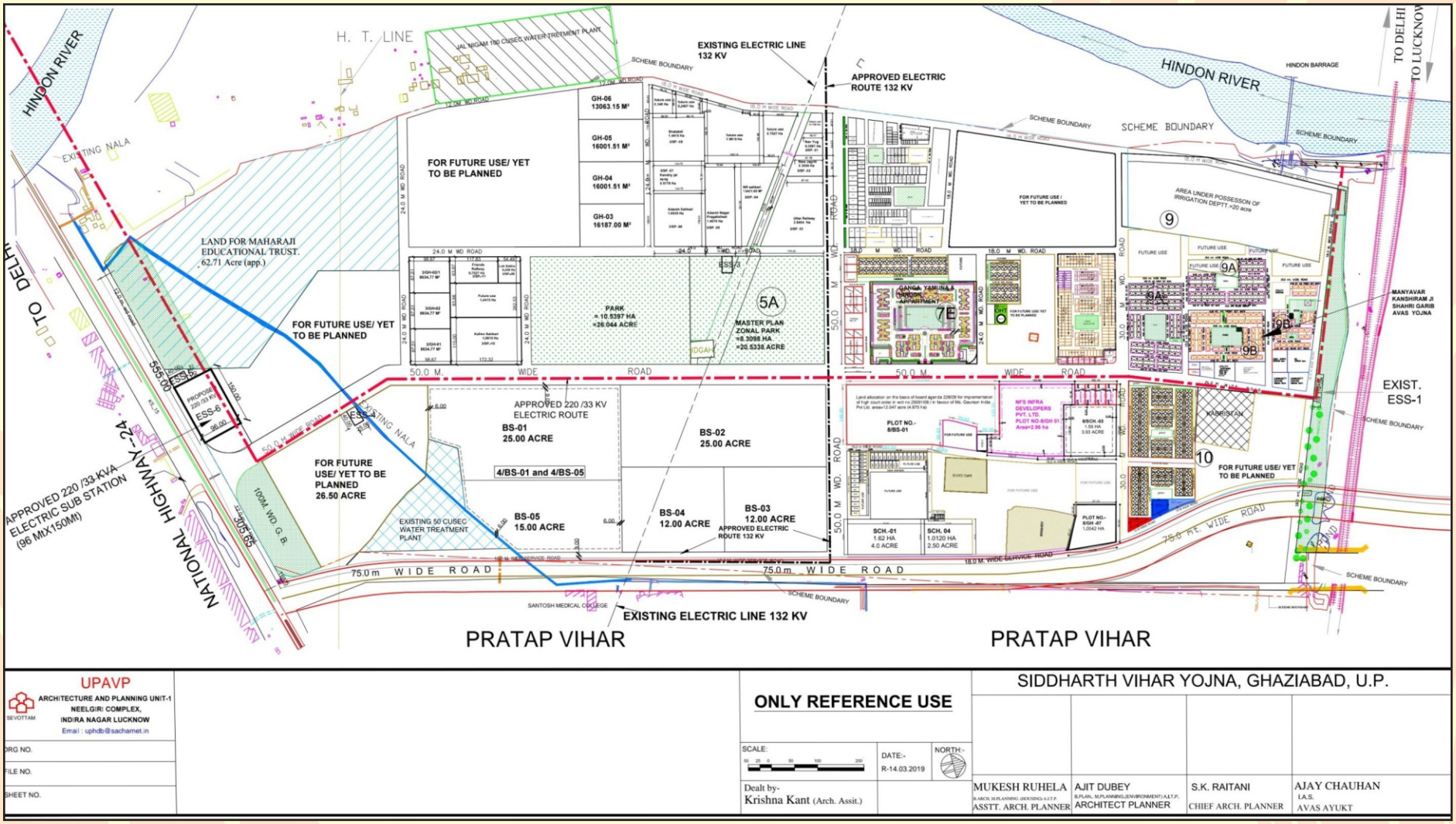

UPAVP
ARCHITECTURE AND PLANNING UNIT-1
SEVOTTAM
NEELGIRI COMPLEX,
INDIRA NAGAR LUCKNOW
Email : uphdb@sachamet.in

ORG NO.
FILE NO.
SHEET NO.

ONLY REFERENCE USE

SCALE:
DATE:- R-14.03.2019
NORTH:-

Dealt by- Krishna Kant (Arch. Assit.)

SIDDHARTH VIHAR YOJNA, GHAZIABAD, U.P.

MUKESH RUHELA	AJIT DUBEY	S.K. RAITANI	AJAY CHAUHAN
B.ARCH, M.PLANNING, (HOUSING) A.I.T.P. ASSTT. ARCH. PLANNER	B.PLAN., M.PLANNING,(ENVIRONMENT) A.I.T.P. ARCHITECT PLANNER	CHIEF ARCH. PLANNER	I.A.S. AVAS AYUKT

R

E.W.S. (G+3) HOUSE AT SEC.-09, SIDDHARTH VIHAR YOJNA, GHAZIABAD

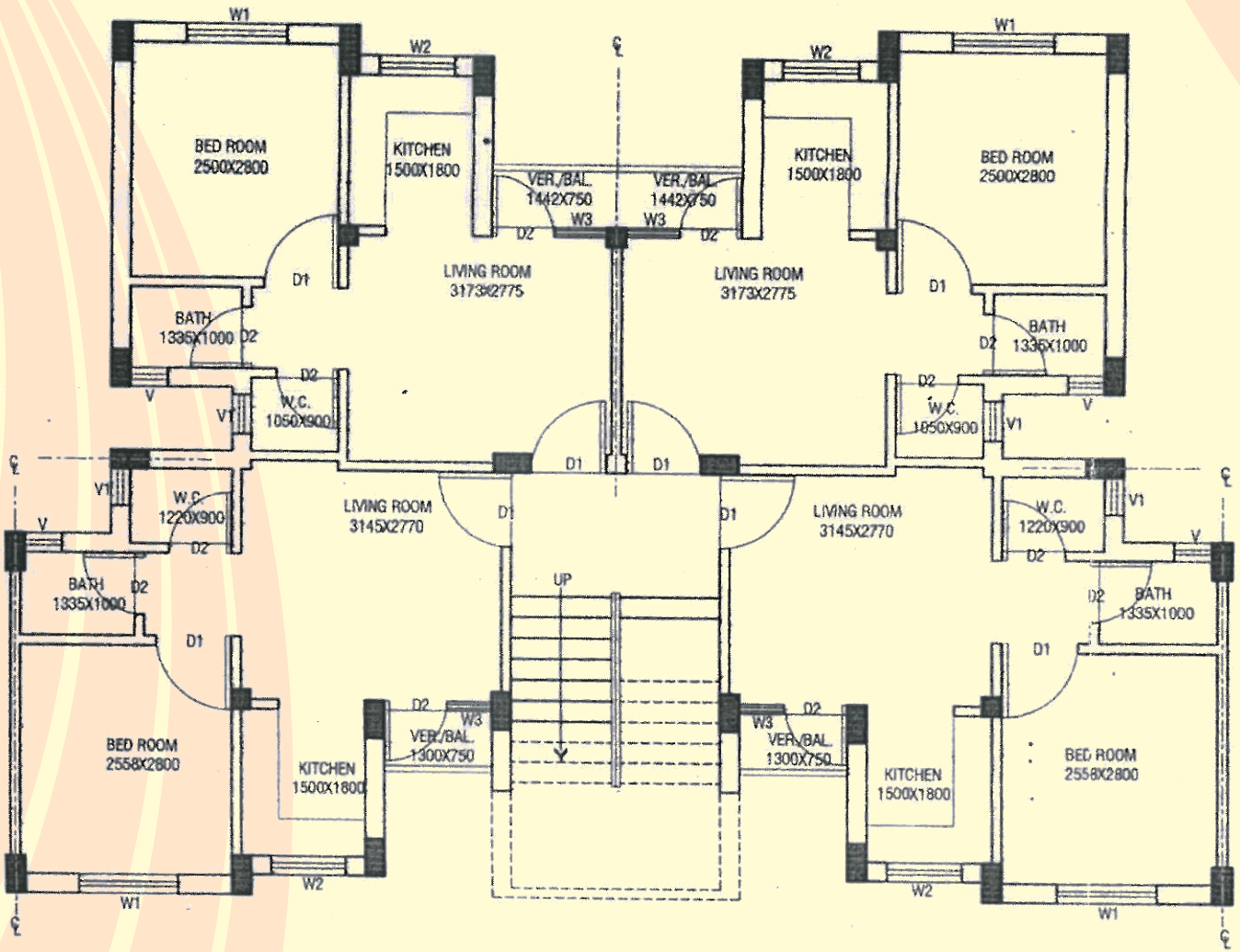

सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद में सेक्टर–9 में निर्मित 64 नग (जी+3) दुर्बल आय वर्ग भवनो का विवरण

क्रम सं0	भवनों का प्रकार	सुपर प्लिंथ एरिया	यूनिट कारपेट एरिया	भवनों का तल	संख्या	अनुमानित मूल्य (लाख मे)	पंजीकरण धनराशि (रू0 लाख मे)	चयन के पश्चात आवंटन पत्र निर्गत होने के 30 दिन के अन्दर देय धनराशि
1	दुर्बल आय वर्ग (चार मंजिले) फ्लैट	30.72 वर्ग0मी0	23.28 वर्ग0मी0	भूतल	16	16.82	0.84	स्वीकृत मूल्य का 10 प्रतिशत शेष धनराशि 10 वर्ष की ब्याज सहित किश्तो में।
				प्रथम तल	16	14.27	0.71	
				द्वितीय तल	16	13.99	0.70	
				तृतीय तल	16	13.71	0.69	

एक मुश्त भुगतान विकल्प देने पर

आवंटन के पश्चात पत्र निर्गमन की तिथि से 60 दिन के अन्दर फ्लैट के मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर 05 प्रतिशत की विशेष छूट अनुमन्य होगी।

किश्तों में भुगतान विकल्प देने पर :–

- फ्लैट के आवंटन के पश्चात फ्लैट के मूल्य के आवंटन एवं पत्र निर्गमन तिथि से 30 दिनो के अन्दर 10 प्रतिशत धनराशि तथा शेष धनराशि दिनांक 01.04.2020 को एस0बी0आई0 की प्रभावी ब्याज दर MCLR (7.95%) + 1% = 8.95% say 9.00% ब्याज सहित) 10 वर्षों की मासिक किश्तों में देय होगी। किश्तों का भुगतान प्रदेशन पत्र जारी होने के साथ ही प्रभावी होगा।

नोटः–

1 उपरोक्त तालिका में दर्शायी गयी प्रविष्टियाँ संशोधित/परिवर्तित हो सकती है।

2 प्रदेशन के समय परिषद द्वारा निर्धारित/स्वीकृत सम्पत्ति का मूल्य देय होगा।

3 तालिका में दर्शित मूल्य अनुमानित है।

4 मा0 न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य किन्ही कारणो से परिषद द्वारा सूचित किये गये आवंटित सम्पत्ति के मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो तद्नुसार आवंटी को भुगतान करना होगा।

5 भवनो का आवंटन ''लीजहोल्ड के आधार पर किया जायेगा, जिसके विक्रय/हस्तान्तरण पर आवंटन की तिथि से 05 वर्षो अथवा देय लागत जमा करने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक प्रतिबन्ध रहेगा तथा उक्त अवधि के पश्चात् लाभार्थी के पक्ष में नियमानुसार फ्री–होल्ड शुल्क लेकर फ्री–होल्ड किया जा सकेगा।

6 भवन हेरिटेबल होगें, एक से अधिक भवन का ''अमलगमेशन'' अथवा उन्हे जोड़कर एक इकाई

/भवन बनाना प्रतिबन्धित रहेगा।

7 परिषद द्वारा विलम्ब से कब्जा दिये जाने की दशा में आवंटी को दिनांक 01.04.2020 को प्रभावी एस. बी.आई. की ब्याज दर MCLR (7.95%)+1%= 8.95% say 9.00% के अनुसार उसी आवंटी को भुगतान किया जायेगा, जो अपनी किश्तें जमा करने में कभी डिफाल्टर न हुआ हो अथवा धनराशि एकमुश्त जमा कर दिया हो। यह भी कि उक्त ब्याज उस तिथि तक देय होगा जिस तिथि से परिषद द्वारा कब्जा दिये जाने की प्रक्रिया आरम्भ की जाए। "Force Majure" की स्थिति में एवं किसान आन्दोलन की वजह से हुये विलम्ब पर यह भुगतान देय नहीं होगा। इस संबंध में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।

परियोजना का नामः–	सामान्य दुर्बल आय वर्ग चार मंजिले (जी+3) आवासीय परियोजना 64 नग भवन।
परियोजना की लोकेशनः–	दिल्ली–बुलन्दशहर बाईपास मार्ग योजना (सिद्धार्थ विहार योजना) गाजियाबाद के सेक्टर–9 में स्थित है।
भवनो की विशिष्टियाः–	निर्मित दुर्बल आय वर्ग भवनों की विशिष्टियॉ निम्नानुसार हैं।
स्ट्रक्चर	भूकम्प रोधी आर0सी0सी0 फ्रेम स्ट्रक्चर
फर्श	पी0सी0सी0 फ्लोर
टायलेट	उडीसा टाइप डब्लू0सी0, पी0सी0सी0 फ्लोर एवं दिवारो पर सरेमिक टाइल्स
किचन	स्टील सिंक, कुकिंग प्लाटफार्म पर मारबल स्टोन, दिवारो पर सरेमिक टाईल्स
चौखट	एंगिल आयरन
दरवाजे	फ्लश डोर शटर्स
खिडकियॉ	एंगिल आयरन
रंग रोगन (आंतरिक)	व्हाईट लाइम वॉश तथा दरवाजो पर एनेमल पेन्ट
रंग रोगन (बाह्य)	एपेक्स वेदर प्रूफ पेन्ट
विद्युतीकरण	अग्निरोधक कॉपर वायरिंग
परिसर के खुले क्षेत्र	इण्टरलॉकिंग पेवर टाइल्स से कवर्ड

पंजीकरण हेतु पात्रता

1 आवेदक भारत का नागरिक हो।

2 आवेदन करते समय आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिये।

3 आवेदक की समस्त श्रोतो से अधिकतम आय सीमा रू0–100000.00 (जिसमें पति/पत्नी एवं अव्यस्क बच्चों की आय भी सम्मिलित है) से अधिक नहीं होनी चाहिये। आय हेतु उ0प्र0 सरकार के सक्षम अधिकारी (जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/तहसीलदार) द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र का सत्यापन भी कराया जायेगा।

4 आवेदक अथवा उसके परिवार के पास उस नगर में जहॉ भूखण्ड/भवन क्रय करने के लिये पंजीकरण कराना है, अपना भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिये तथा उत्तर प्रदेश के किसी अन्य नगर अथवा शहरी क्षेत्र में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिये।

5 आवेदक अथवा उसके परिवार के पास उस समय अथवा भविष्य में भी परिषद द्वारा प्रदिष्ट की जाने वाली सम्पत्ति को संकलित करते हुए किसी अधिनियम/शासनादेश में निर्धारित सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं होनी चाहिये।

6 आवेदक अथवा उसके परिवार के पक्ष में परिषद द्वारा एक नगर में दुर्बल आय वर्ग भवन तथा किसी अन्य नगर में एक एस0एफ0एस0 भवन आवंटित किया जा सकता है। यह अधिकतम सीमा है। निर्धारित सीमा के अनुसार यदि प्रदेशन किया जा सके तभी पंजीकरण किया जा सकेगा।

7 किसी सार्वजनिक सेवा में कार्यरत व्यक्ति की वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक होने पर भी यदि आवेदन पत्र देने के दिनांक से पॉच वर्ष के अन्दर वह सेवानिवृत्त होने को हो तो वह सेवानिवृत्त के बाद की अपनी होने वाली आय के आधार पर भवन के पंजीकरण के लिये आवेदन कर सकता है। इस सम्बन्ध में आवेदक को सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

पंजीकरण के नियम

1 आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिये गये आवेदन पत्र भरने के लिये निर्देशो का अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन–पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।

2 पंजीकरण हेतु निर्धारित बैंक से पंजीकरण पुस्तिका क्रय करके आवेदन पत्र, पूर्ण रूप से भरकर अधिकृत बैंक की शाखा में अन्तिम तिथि से पूर्व वॉछित संलग्नको एवं निर्धारित पंजीकरण

धनराशि सहित, जमा करना होगा।

3 पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति–पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य है। विशेष परिस्थितियों में पंजीकरण का हस्तान्तरण पति–पत्नी के मध्य नियमानुसार किया जा सकेगा। पंजीकृत व्यक्ति के साथ किसी अन्य व्यक्ति का नाम जोड़ने अथवा पंजीकरण के अन्तरण की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा।

4 यदि कोई आवेदक पंजीकरण हेतु पात्रता चयन या आवंटन की तिथि, जो भी पहले हो, से पूर्व जमा पंजीकरण धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसे बिना किसी कटौती के परिषद द्वारा निर्धारित रिफण्ड बाउचर भर के आवेदन करने पर पंजीकरण धनराशि बैंक के माध्यम से वापस कर दी जायेगी, परन्तु पंजीकरण राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। किन्तु ऐसा निरस्त पंजीकरण बाद में पुर्नजीवित नहीं किया जा सकेगा।

5 पंजीकरण पात्रता ड्रा में सफल (चयनित) अथवा आवंटन के पश्चात् आवेदको द्वारा पंजीकरण निरस्तीकरण तथा धनराशि वापसी का आवेदन प्राप्त होने पर सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय द्वारा पंजीकरण धनराशि की नियमानुसार कटौती करते हुए शेष धनराशि वापसी की कार्यवाही की जायेगी।

6 सम्पत्ति आवंटन के उपरान्त सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय द्वारा निर्गत प्रदेशन पत्र की तिथि से तीन माह के अन्दर निरस्तीकरण का आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत तथा तीन माह के पश्चात् आवेदन करने पर अथवा अदेयता के कारण हुए निरस्तीकरण की दशा में जमा पंजीकरण धनराशि के 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए प्रदेशन/पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा अवशेष पंजीकरण धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी। पंजीकरण धनराशि प्राप्ति हेतु निर्धारित रिफण्ड बाउचर एवं प्राप्ति रसीद आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में जमा करना होगा । इस प्रकार निरस्त कराये गये प्रदेशन/पंजीकरण को बाद में पुर्नजीवन हेतु किसी प्रकार का क्लेम या दावा मान्य नहीं होगा।

7 प्रश्नगत पंजीकरण का आवेदन एवं पंजीकरण धनराशि मात्र इसी योजना के अर्न्तगत ही विचारणीय है। इसके आधार पर किसी अन्य योजना में कोई क्लेम या दावा मान्य नहीं होगा।

भुगतान का तरीका

(एक मुश्त भुगतान की दशा में)

आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 60 दिन के अन्दर सम्पूर्ण देय मूल्य का पूर्ण

भुगतान करने पर भवन के विक्रय मूल्य पर 05 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

(किश्तो में भुगतान की दशा में)

1 पंजीकरण की वैधता बनाये रखने हेतु आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से तीन माह के अन्दर निर्धारित देय भुगतान करना अनिवार्य होगा।

2 प्रदेशन/आवंटन पत्र के अनुसार निर्धारित अन्तिम तिथि मे बैंक में अवकाश होने की स्थिति में बैंक के आगामी कार्य दिवस तक, किश्त की धनराशि/पूर्ण देय धनराशि जमा करने की स्थिति मे विलम्ब के कारण उक्त धनराशि पर ब्याज/अतिरिक्त ब्याज देय नही होगा।

3 आवंटन के पश्चात् सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय द्वारा निर्गत प्रदेशन पत्र में उल्लिखित नियमो/शर्तों के अनुसार सम्पत्ति के कुल मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि 30 दिन में तथा शेष धनराशि दिनांक 01.04. 2020 को एस0बी0आई0 की प्रभावी ब्याज दर MCLR (7.95%)+1%=8.95% say 9.00% ब्याज सहित) 10 वर्षों की मासिक किश्तों मे भुगतान करना होगा।

4 यदि आवंटी अवशेष किश्तों की निर्धारित संख्या मे कम किश्तों मे भुगतान करने हेतु आवेदन करता है अथवा कुछ धनराशि एक मुश्त जमा करके किश्तो के पुनः निर्धारण हेतु अनुरोध करता है तो इस प्रकार की अनुमति सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय के प्रभारी के स्तर से दी जा सकती हैं। किश्त पर आवंटित प्रश्नगत सम्पत्ति का अवशेष मूल्य, एक मुश्त जमा किया जा सकता है।

5 किसी भी भुगतान मे विलम्ब की दशा मे अवशेष धनराशि पर दिनांक 01.04.2020 को SBI की प्रभावी ब्याज दर MCLR+1 प्रतिशत अर्थात 7.95 प्रतिशत + 1 प्रतिशत = 8.95% say 9.00% सामान्य ब्याज दर के साथ 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज की दर से देय होगा। परिषद द्वारा बकाये की तीन पंजीकृत नोटिस निर्गमन के उपरान्त बकाया धनराशि का भुगतान न करने पर पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा, जिसके लिये आवंटी स्वयं उत्तरदायी होगा।

6 समस्त भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक से नकद/बैंकड्राफ्ट/बैंकर्सचैक/आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से पंजीकरण धनराशि जमा की जा सकती है। बैंकड्राफ्ट/बैंकर्सचैक ''उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद'' के नाम जो दिल्ली शहर मे देय हो, के पक्ष मे होना चाहिये।

7 नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग/परिषद/उ0प्र0 शासन द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क हाउस टैक्स आवंटी द्वारा देय होगें।

नोट– क्रमांक 5 एवं 6 एक मुश्त भुगतान एवं किश्तो में भुगतान दोनो दशा में अनुमन्य होगा।

आवंटन नियम

1 एकमुश्त भुगतान के विकल्प वाले आवेदको का आवंटन प्रथम वरीयता के आधार पर किया जायेगा। किश्त के विकल्प के आवेदकों का आवंटन द्वितीय वरीयता पर किया जायेगा।

2. इस योजना के अर्न्तगत प्रत्येक पंजीकृत आवेदक को परिषद भवन देने के लिए बाध्य नहीं होगी और यदि किसी पंजीकृत आवेदक को सम्पत्ति आवंटित नहीं हो पाती तो आवेदक इसके लिए परिषद से किसी प्रकार का हर्जाना या बैकल्पिक भवन या अन्य अनुतोष प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

3. पंजीकृत आवेदको की संख्या आवंटन हेतु उपलब्ध भवनो की संख्या से अधिक होने की स्थिति में सार्वजनिक लाटरी ड्रा के माध्यम से कार्यवाही की जायेगी।

4 परिषद द्वारा पंजीकृत आवेदको के चयन के उपरान्त आवेदको के आय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र सम्बन्धित निर्गमन कर्ता सक्षम स्तर/जिलाधिकारी से सत्यापित कराये जायेंगे। सूचना अन्यथा पाये जाने पर समस्त जमा पंजीकरण धनराशि जब्त कर आवंटन/पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।

5 आवेदकों की सहमति से ग्रुपिंग से एक साथ रहने के आधार पर फ्लैटो की उपलब्धता की स्थिति में आवेदन पत्र देने पर ग्रुप बनाये जाने की सुविधा यथा सम्भव दी जायेगी। दो आवेदको की सीमा तक ही ग्रुपिंग अनुमन्य होगी।

6 सम्पत्ति का निर्धारण लाटरी ड्रा द्वारा किया जायेगा।

7 आवंटी को प्रदेशन पत्र में उल्लिखित नियमो/प्राविधानो का पालन करना होगा।

8 प्रथम चरण मे एक–मुश्त भुगतान करने वाले आवेदकों के मध्य आवंटन सार्वजनिक लाटरी ड्रा द्वारा किया जायेगा। उक्त के उपरान्त यदि सम्पत्ति अवशेष रह जाती है तो किश्तों पर प्राप्त आवेदकों के मध्य सार्वजनिक लाटरी ड्रा से कार्यवाही की जायेगी।

9 आरक्षण की सुविधा शासन/परिषद द्वारा नियमानुसार देय होगी।

10 प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध सम्पत्ति की संख्या से अधिक होने पर सार्वजनिक लाटरी ड्रा द्वारा आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।

11 लाटरी ड्रा से एक सप्ताह पूर्व समस्त आवेदकों की सूची परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर प्रदर्शित की जायेगी जिसमे लाटरी ड्रा हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व यदि कोई त्रुटि/कमी परिलक्षित होती है तो आवेदक पंजीकृत डाक से/व्यक्तिगत अथवा ई–मेल से कार्यालय को सूचित करेगें, तदानुसार परीक्षणोपरान्त उसका निराकरण संबंधित, सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के

द्वारा स–समय किया जा सकेगा। अन्यथा की स्थिति मे लाटरीड्रा की तिथि एवं उसके पश्चात् कोई दावा मान्य नही होगा।

12 सम्पत्ति के विरूद्ध प्राप्त पंजीकरण आवेदनों की सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी की पृथक–पृथक सूची तैयार की जायेगी।

13 सम्पत्ति आवंटन हेतु लाटरी ड्रा के नियत तिथि, समय की सूचना परिषद वेबसाइट www.upavp.in पर 10 दिन पूर्व प्रदर्शित कर दी जायेगी।

14 लाटरी की नियत तिथि, स्थान, समय की सूचना दो दैनिक समाचार पत्रों मे भी विज्ञप्ति के माध्यम से कम से कम 10 दिन पूर्व प्रसारित करायी जायेगी।

15 लाटरी के सफल आवेदकों एवं उनका आवंटित सम्पत्तियों का विवरण लाटरी ड्रा के पश्चात् परिषद वेबसाइट www.upavp.in पर यथा सम्भव उसी दिन प्रसारित कर दी जायेगी तथा आवंटन पत्र पंजीकृत डाक/व्यक्तिगत एवं आनलाइन के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा।

16 सफल आवेदकों को आवंटित सम्पत्ति का आवंटन पत्र/मांग पत्र निर्गमन के पश्चात भू–सम्पदा (विनियम और विकास) अधिनियम–2016 के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। इस प्रक्रिया मे आने वाला व्यय आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

आरक्षण

योजना के फ्लैटस मे निर्गत आरक्षण शासन/परिषद के आदेशो के अनुसार प्रभावी होगा।

क्र.स.	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	अतिरिक्त रियायते तथा सूचनात्मक टिप्पणी
1	अनुसूचित जाति	21	उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्धारित सूची के अन्तर्गत उल्लिखित जातियॉ ही पात्र होगी। पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकरी/ तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी।
2	अनुसूचित जनजाति	2	————————तदैव————————
3	अन्य पिछडा वर्ग	27	————————तदैव————————
4	मा0 विधायक/सांसद/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	5	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अधिकृत प्राधिकरी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को कोई सुविधा अनुमन्य नही होगी।
5	सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	5	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी प्राधिकारी का प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
6	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायो के कर्मचारी	2	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र मूलरूप में उपलब्ध कराये। शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्यरत हों एवं न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
7	समाज के दिव्यांग व्यक्ति	3	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
8	वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु पूर्ण होने के आधार पर)	10	हाईस्कूल प्रमाण पत्र/सेवानिवृत्त प्रमाण पत्र/पेंशन पेपर का प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। इन प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये।
9	वर्तमान सैनिक भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	3	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ नियत सैनिक अधिकारी/अधिकृत प्राधिकारी के प्रमाण पत्र की छायाप्रति। किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायेंगे।

नोटः— उपरोक्त मे से क्रमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेगें लाटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। अनारक्षित श्रेणी एवं क्रम संख्या–1, 2 एवं 3 में वर्णित उक्त आरक्षित श्रेणियों में ही शासनादेशो के अनुसार, उनके सम्बन्धित क्रम संख्या–4, लगायत 9 में वर्णित, आरक्षण हारिजेन्टर रूप से किया जायेगा। प्रत्येक दशा में आरक्षण से सम्बन्धित लागू शासनादेशो का अनुपालन किया जायेगा।

असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी

1 पात्रता चयन के पश्चात् असफल आवेदको को यथासंभव एक माह के अन्दर नोडल बैंक शाखा द्वारा आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से सीधे धनराशि आवेदक द्वारा दिये गये बैंक एकाउन्ट पेई चैक / इलेक्ट्रोनिक ट्रांसफर के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।

फ्लैटस का भौतिक कब्जा

1 किश्तो पर सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने की दशा में एक माह के भीतर कुल मूल्य का 10 प्रतिशत एक मुश्त भुगतान करना होगा तथा शेष धनराशि दिनांक 01.04.2020 को SBI की प्रभावी ब्याज दर MCLR (7.95%)+1%=8.95% say 9.00% ब्याज सहित, 10 वर्ष की मासिक किश्तो में भुगतान करना होगा। प्रथम एकमुश्त व विविध देयको के भुगतान एवं अध्यावधिक किश्तो के भुगतान के उपरान्त निर्धारित स्टाम्प पेपर पर किराया किश्त क्रय अनुबन्ध / पंजीकृत कराने के उपरान्त कब्जा देय होगा।

2 आवेदक द्वारा नियमानुसार फ्लैट का मूल्य व अन्य समस्त देयक परिषद खाते में भुगतान पंजीयन / सेलडीड कराने से पूर्व करना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं निबंधन के पश्चात भौतिक कब्जा हस्तगत किया जायेगा।

3 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सूचित अवधि में फ्लैट का कब्जा न लेने पर आवंटी को नियमानुसार रख–रखाव शुल्क अतिरिक्त देय होगा। तत्पश्चात् निबन्धन से विलम्बतम तीन माह तक कब्जा न लेने पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को फ्लैट का आवंटन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

तथ्यों का छिपाना

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य / मिथ्या / त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण / आवंटन / निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि सम्मत अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

अन्य महत्वपूर्ण सूचना/शर्ते

1 योजना आवासीय योजना है। अतः फ्लैट का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं आवंटन विक्रय–विलेख निष्पादन एवं उसका पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर शासन / परिषद के नियम, आदेश व निर्णय आवंटी पर प्रभावी होंगे।

2 यदि आवंटी / आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसका पंजीकरण / आवंटित फ्लैट उसके उत्तराधिकारी द्वारा पंजीकरण / फ्लैट परिवर्तन करने हेतु परिषद के नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इन्डमिनिटी बॉण्ड आदि उपलब्ध कराने पर विवाद न होने की दशा में, आवंटन समिति की संस्तुति पर, अपर आवास आयुक्त एवं

सचिव के आदेशान्तर्गत, परिवर्तन अनुमन्य होगा। विवाद होने की दशा में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

3 किसी भी सम–समायिक संशोधन का अधिकार आवास आयुक्त महोदय में निहित होगा।

4 पंजीकरण पुस्तिका में असमावेशित रह गयी शर्तो के विषय में सम्बन्धित शासनादेशो व परिषद के प्राविधान प्रभावी होगें।

5 किसी सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य किन्ही अपरिहार्य कारणो से यदि परिषद द्वारा सूचित किये गये आवंटित सम्पत्ति के मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो उसका भुगतान आवंटी को करना होगा।

6 किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र जनपद गाजियाबाद होगा।

आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देशः–

1 आवेदन पत्र हिन्दी या अग्रेंजी में भर सकते है। आवेदन पत्र काले अथवा नीले वाल प्वाइन्ट पेन से भरा जायें।

2 आवेदन पत्र में नाम, हिन्दी व अग्रेंजी दोनों भाषाओं में अनिवार्य रूप से भरा जायें।

3 आवेदन पत्र कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा सत्यापित किये जाने है। अतः अंग्रेजी में अपेक्षित सूचनाये भरते समय अपेक्षित है कि इस आवेदन पत्र के ब्लाक को अंग्रेजी के बडे अक्षरो (BLOCK LETTERS) में ही भरें। हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किये जा सकते है।

4 आवेदक केवल अंको के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग करें जैसें : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

5 आवेदक को पासपोर्ट साईज का स्व–हस्ताक्षरित फोटोग्राफ आवेदन पत्र पर यथास्थान लगाना है तथा इस प्रकार हस्ताक्षर किये जायें कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पत्र पर एवं आधा भाग फोटोग्राफ पर आये। संयुक्त आवेदक (पति–पत्नी) की ओर से आवेदन की स्थिति में दोनों का संयुक्त फोटोग्राफ लगाया जाना अपेक्षित होगा।

6 एक ब्लाक (BLOCK) में एक ही वर्ण (अक्षर या अंक) लिखें।

7 नाम अथवा पता भरते समय दो शब्दों के बीच एक रिक्त स्थान / ब्लाक छोडा जायें।

8 आवेदन पत्र में अंकित लिंग (SEX) कॉलम में पुरूष हेतु 'M' एवं महिला हेतु 'F' एवं पति–पत्नी द्वारा संयुक्त भरे जाने पर 'HW' भरें।

आरक्षण की श्रेणी भरने के लिये पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित ''आरक्षण'' नियमों का अध्ययन करें। आरक्षण के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुये उचित कोड भरना अनिवार्य होगा। रिक्त स्थान रहने की स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा।

आवेदन पत्र में भरने के लिए कोड की सूची

आरक्षण श्रेणी	कोड संख्या
अनुसूचित जाति	01
अनुसूचित जनजाति	02
अन्य पिछड़ा वर्ग	03
(अनारक्षित) सामान्य वर्ग	04
हारिजेन्टल आरक्षण कोड	
मा0 विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	F
सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	G
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	B
समाज के विकलांग व्यक्ति	D
वृद्धजन, वरिष्ठ नागरिक	O
विस्थापित	W
वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	R
शहर	**कोड**
गाजियाबाद	G
लिंग	**कोड**
स्त्री	F
पुरूष	M
संयुक्त आवेदन की स्थिति में (पति–पत्नी)	HW
अन्य	T

<u>होरिजेन्टल आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही विकल्प मान्य होगा।</u>

10 कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण का कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्रों से की जायेगी। प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण प्रमाण होने की स्थिति में अथवा प्रमाण पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरूद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

11 बैंक ड्राफ्ट/पे–आर्डर का लेखा शीर्षक ''उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद'' के नाम जो दिल्ली शहर में देय होगा, में पक्ष में होना चाहिए।

12 संलग्नकों के विवरण में कुल संलग्न किये गये अभिलेखो की संख्या व विवरण अंकित करना होगा। इस स्तम्भ में मात्र बैंक ड्राफ्ट (उपरोक्तानुसार) लिखा जा सकता है। किन्तु आरक्षण विषयक लाभ लेने हेतु लगाये गये संलग्नकों को सावधानी पूर्वक अंकित कर प्रार्थना पत्र के साथ लगाना आवेदक के हित में होगा।

13 पात्रता ड्रा के बाद असफल होने पर धनराशि समय से परिषद द्वारा आवेदन पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर नोडल बैंक द्वारा सीधे आवेदनकर्ता को उनके बैंक एकाउण्ट में रिफण्ड कर दी जायेगी। उक्त सूचना उपलब्ध न कराये जाने पर अथवा त्रुटिपूर्ण सूचना उपलब्ध कराये जाने की दशा में रिफण्ड के भुगतान में विलम्ब हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद का कोई उत्तरदायित्व न होगा तथा इस हेतु विलम्ब के कारण परिषद की ओर से ब्याज आदि देय नही होगा। उक्त प्रविष्टि को ध्यानपूर्वक भरें ताकि आपका रिफण्ड गलती के कारण किसी गलत खाते में न जाने पायें।

14 आवेदन पत्र में केवल आवेदक द्वारा ही हस्ताक्षर किये जायें।

15 अपूर्ण आवेदनो पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इस विषय में कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

16 परिषद से भविष्य में पत्र व्यवहार के समय चालान संख्या एवं शहर कोड अवश्य अंकित करें। पंजीकरण संख्या उपलब्ध न होने पर फार्म संख्या अंकित कर दें।

17 आवेदन पत्र जमा करते समय आवेदन पत्र की छायाप्रति अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें ताकि भविष्य हेतु सन्दर्भ रहें।

18 आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण पुस्तिका में निर्धारित प्रारूप के अनुसार रू0–10.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र संलग्न करना होगा।

मुख्य परिभाषायें

निम्नलिखित शब्द/शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रो में प्रयोग किये गये है, जहॉ–जहॉ वे प्रयुक्त किये गये है, उनके निम्नलिखित अर्थ होगें:–

आवेदक का परिवारः–

इसमें स्वयं आवेदक, उसकी पत्नी/पति तथा आवश्यक बच्चे सम्मिलित है।

आयः–

आय का तात्पर्य आवेदक के समस्त श्रोतो से होने वाली पंजीकरण से पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक आय से है, इसमें आवेदक उनके पति/पत्नी तथा आवश्यक बच्चे की आय सम्मिलित होगी।

सम्पत्तिः–

सम्पत्ति का तात्पर्य भवन/फ्लैट से है।

चरण (पंजीकरण का खुलना):–

इसका तात्पर्य निर्धारित अवधि के लिये विशिष्ट श्रेणी की सम्पत्ति के लिये पंजीकरण खुलने पर आवेदन पत्र आमत्रित करने से है। चरण संख्या या कोड पंजीकरण खुलने की अवधि तथा तिथि सम्बन्धित है, इसलिये विभिन्न चरणों के लिये भिन्न होगी। इसी प्रकार पंजीकरण चरण पत्र में इस विशेष पंजीकरण से सम्बन्धित जानकारी दी गयी है।

पंजीकरण का दौरः–

इसका तात्पर्य पंजीकरण की उस प्रक्रिया से है, जिसके अर्न्तगत एक विशेष अवधि में पंजीकरण किया जाता है।

सरकारी सेवाओं से तात्पर्यः–

उ0प्र0 राज्य की सेवा में तथा उ0प्र0 राज्य के अधीन गठित निगमों, उपक्रमों एवं निकायो में कार्यरत नियमित कर्मचारियो एवं अधिकारियों से है।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है:–

(1) जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, जिसके द्वारा इन कार्यकलापो में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम दो माह की अवधि के लिये कारावास का दण्ड भोगा गया हो या जिसे नजरबंदी या अंडर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम तीन माह की अवधि के लिये रखा गया हो या कम से कम 10 बेंतो की सजा पायी हो या फरार घोषित किया गया हो या स्वतंत्रता संग्राम में गोली से घायल हुआ हो या जिसने वीरगति प्राप्त की हो।

(2) जो पेशावर कांड में रहे हों या जो भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक हों या भूतपूर्व इण्डिया इण्डिपेन्डैस लीग के प्रमाणित सदस्य रहे हों।

सुरक्षा सैनिक का तात्पर्यः–

सेवारत/सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ी जाति

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है। शासन द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है। शासन द्वारा निर्दिष्ट जातियों से इतर श्रेणीयों में आने वाले व्यक्तियों को इस सुविधा का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

नेत्रहीन तथा दिव्यांग व्यक्ति का तात्पर्यः–

शासन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित नेत्रहीन/दिव्यांग व्यक्ति से है।

परिषद कर्मचारी का तात्पर्यः–

परिषद के नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी से है जिनकी दो वर्ष सेवा पूरी हो चुकी है।

परिषद का तात्पर्यः–

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से है।

रू0–10.00 के स्टाम्प पेपर पर (नोटरी द्वारा सत्यापित) समक्ष उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद घोषणा

मै श्री / श्रीमती / कु0 ..... पुत्र / पत्नी .....
..... उम्र ..... निवासी .....
..... यह शपथ पूर्वक ब्यान करता / करती हूँ कि:–

1 मैं उपरोक्त नामित एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मैने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों, शर्तो दशाओं, विशेष सूचनाओं की परिभाषा (उदाहरणार्थ परिवार) पंजीकरण के इस चरण की प्रक्रिया जिसका उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है, जिसके साथ यह प्रपत्र सम्बद्ध है, को स्पष्ट समझ लिया है। तथा मैं इसके पालन का वचन देता / देती हूँ।

2 जिस नगर अथवा क्षेत्र के लिए मैं आवेदन कर रहा / रही हूँ उसमें मेरा अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य के नाम कोई अन्य आवासीय भूखण्ड / भवन नहीं है। यदि आवंटन के पूर्व आवेदित नगर में मेरे अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य द्वारा कोई भूखण्ड / भवन क्रय किया जाता है तो उसकी लिखित सूचना में तुरन्त परिषद को दूँगा / दूँगी।

3 मेरे या मेरे परिवार के नाम उत्तर प्रदेश के किसी भी नगर में एक से अधिक भूखण्ड / भवन नहीं है।

4 मैं एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरे अधिकतम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सर्वथा सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

5 मैं एतद्द्वारा वचन देता / देती हूँ कि यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मैंने स्वयं के सम्बन्ध में कोई असत्य विवरण परिषद को दिये है तो परिषद को मेरे विरूद्ध ऐसी कोई कार्यवाही करने का अधिकार होगा जो वह उपयुक्त समझें।

6 कृपया मेरा नाम इच्छुक आवेदकों / क्रेताओं की सूची में पंजीकृत करने का कष्ट करें।

7 मैं ..... यह घोषणा करता / करती हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने पर श्री / श्रीमती ..... जो रिश्ते में मेरे / मेरी ..... हैं एवं खून के सम्बन्धी है, को इस पंजीकरण के नामान्कन हेतु प्रथम वरीयता पर नामित करता / करती हूँ। प्रथम वरीयता के नामान्तरी की मृत्यु होने पर इसी क्रम में श्री / श्रीमती .....
..... जो मेरे / मेरी ..... है एवं खून के सम्बन्धी है, को इस पंजीकरण हेतु द्वितीय वरीयता पर नामित करता / करती हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिल्ली–बुलन्दशहर बाईपास मार्ग स्थित सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद में निर्मित 64 नग दुर्बल आय वर्ग भवनों हेतु पंजीकरण पुस्तिका क्रय करने एवं पंजीकरण फार्म जमा करने हेतु निर्धारित बैंक

एच0डी0एफ0सी0 बैंक, ए–15/15 सेक्टर–44, नोएडा, 201301

आकाश जैन (शाखा प्रबन्धक) का मोबाईल नम्बर :– 9335715390

विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें

इं0 सुमित कुमार–I
अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0–गाजियाबाद–2
मो0न0: 6390900011

श्री हेतम पाल सिंह
सहायक आवास आयुक्त
गाजियाबाद
मो0न0: 8795811049

सुश्री शेरी
उप आवास आयुक्त
मेरठ जोन
मो0नं0: 8795810007

इं0 राकेश चन्द्र
अधीक्षण अभियन्ता
गाजियाबाद
मो0न0: 8795810033

Website:- www.upavp.in

हमारा यही प्रयास - आपका अपना आवास

IS 15700 : 2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

U.P. HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ.

Website : http://www.upavp.in, E-mail : info@upavp.com

विस्तृत जानकारी हेतु परिषद के

टॉल फ्री नं.1800-180-533 दूरभाष 0522-2236803

पर सम्पर्क करें या परिषद की वेबसाइट पर लॉगिन करें।

मूल्य ₹ 200/- (जी.एस.टी. सहित)